न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला–बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 109 / 2023 ता0 रजू 05.09.2024

GCMS ID-2024/276

उनवान

1. छोटूराम आ0 देवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

–वादी–

बनाम

1. छगना आ0 पुत्र देवाराम जाति बलाई निवासी बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत :– तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

श्री चन्द्रप्रकाश जैन अधि0 वादी

श्री महेश नामा अधि0 प्रतिवादी

आदेश

दिनांकः–02.01.2025

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि वादी कृषि भूमि ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 60 के खसरा नम्बर 1598 / 1732 क्षै0 0.8094 है0 स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि मे खातेदार के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, सयुक्त रूप से ही काश्त होती है। भूमि संयुक्त होने के कारण वादी व प्रतिवादी कम 1 में तनाव रहने लग गया है। सरकारी कार्यो मे बाधा आने लग गयी है इसलिए वादी ने प्रतिवादी कम 1 से वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी इंकार हो गया बल्कि झगडे पर आमादा हुआ है। वादी ने अंतिम बार प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 03.09.2024 को बंटवारा करने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी इंकार हो गया, यही वाद कारण है। उक्त खसरा संख्या के समीप वादी की निजि भूमि भी स्थित है और वादपत्र की चरण संख्या 1 वर्णित भूमि में निहित हिस्से के रूप में अपनी निजी भूमि के पास वाला हिस्सा आपसी सहमति से कब्जे काश्त में है और विधिवत बंटवारा होने पर बंटवारे में अपने खाते की समीप वाली भूमि ही सुविधा की दृष्टि से दिया जाना आवश्यक है एवं जो भूमि जिस पक्षकार के हिस्से में आवे उसे स्वतंत्र खाते में अंकन फरमाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी कम संख्या 2 को राजस्थान राज्य को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गयी है। उक्त कृषि भूमियॉ ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली में स्थित है, अतः श्रीमान को इस दावा को सुनने का अधिकार प्राप्त है। दावे का मूल्याकंन 5000/–रू पर निश्चित किया जाता है जिसकी निश्चित कोर्ट फीस व उचित तलबाने के साथ यह दावा प्रस्तुत है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी के हिस्से में जो कृषि भूमि आवे उसकी निजी भूमि के समीप वाला हिस्सा दिया जावे और जो कृषि भूमि दोनों के हिस्से में आवे उसे स्वतंत्र रूप से नाम अलग अलग खाते में अंकन फरमाया जावे एवं आवश्यकता हो तो तद्नुसार कब्जे में रद्दोबल फरमाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जा भी सुलभ हो वादी को प्रतिवादी से दिलायी जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। तथा प्रतिवादी नं. 01 व 2 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाद वादीगण स्वीकार है वादगस्त भूमियों का पक्षकारान के मध्य बंटवारा करने में प्रतिवादीगण का कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादीगण का जबाव स्वीकारात्मक होने से तनकीयात कायम नहीं की गई है।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 60 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम बासनी पटवार मण्डल बासनी तहसील हिण्डोली पेश किये एवं वादी का शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह/जिरह प्रतिवादी दर्ज करवाई गई।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र/प्रतिवाद पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण को भी मुताबिक रिकॉर्ड के बंटवारा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांकः– 28.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/24/4232 दिनांकः–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

26.12.2024 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। पक्षकारान के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान अधिवक्तागण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम बासनी की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	छोटूराम पुत्र देवाराम जाति बलाई सा0 देह खातेदार	1598/1732/1	0.4047
	योग	किता– 1	0.4047
2.	छगना पुत्र देवाराम जाति बलाई सा0 देह खातेदार	1598/1732/2	0.4047
	योग	किता–1	0.4047

नक्शे में छोटूराम की आराजी को नीले रंग (स्टार साईन) से व प्रतिवादीगण की आराजी को लाल रंग(चौकोर साईन) से दर्शाया है। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली जिला बून्दी (राज.)